



Neutral Citation No. - 2026:AHC:11510

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट याचिका संख्या - सी - 870 वर्ष 2026

सवारु ...याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य ...प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: मुकुल कुमार मिश्रा, उमाकांत चौधरी

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी., सुधीर भारती

न्यायालय संख्या - 2

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की बात सुनी और अभिलेखों का अवलोकन किया।

2. यह रिट याचिका निम्नलिखित प्रार्थना के साथ दायर की गई है:-

"1. परमादेश के रूप में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए जिसमें प्रतिवादी संख्या 3 को याचिकाकर्ता (सावरू बनाम विंध्याचल और अन्य) द्वारा दिनांक 23.07.2022 को दायर आवेदन (अनुलग्नक संख्या 1) पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 134 के तहत, निर्धारित अवधि के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया जाए।"

3. इस याचिका में पारित किए जाने वाले आदेश को देखते हुए, निजी प्रतिवादी को नोटिस भेजकर और इस याचिका को न्यायालय के समक्ष लंबित रखकर कोई लाभ नहीं होगा। हालांकि, यदि निजी प्रतिवादी इस आदेश से असंतुष्ट है, तो उसे आदेश में पुनरीक्षण/परिवर्तन की मांग करने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि मामला लंबे समय से लंबित है। उनका तर्क है कि काफी समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, यह याचिका संबंधित प्राधिकारी को निर्देश देते हुए निस्तारित जाती है कि वह उपरोक्त मुकदमे का फैसला कानून के अनुसार, अत्यंत शीघ्रता से और अधिमानतः प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से चार महीने की अवधि के भीतर करे। लेकिन सभी संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद और किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

16 जनवरी, 2026

ऐमन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"